NOC

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 1998

विषय:- तनवीम स्कूल अन्नपूर्णानगर वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तनवीम स्कूल अन्नपूर्णानगर वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

.../-

Sunbeam School, Annapurna, Lahartara, Varanasi * Manager Correspondent * School Code 71309

Sunbeam School * Annapurna, Lahartara, Varanasi * AFF.No.2130454

Principal
SUNBEAM SCHOOL
Annapurna, Lahartara
Varanasi

16. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुरूप सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पायाजाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिकायत बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांधी)
संयुक्त सचिव ।

4134
पृ0सं0 313/11/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
4- निरीक्षक, अंचल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, सनबीम स्कूल, अन्नपूर्णानगर, वाराणसी ।

आज्ञा से,

(अशोक गांधी)
संयुक्त सचिव ।

Sunbeam School Annapurna, Lahartara, Varanasi AFF.No.2130454

Sunbeam School Annapurna, Lahartara, Varanasi School Code 71309 Manager Correspondent

Principal
SUNBEAM SCHOOL
Annapurna, Lahartara
Varanasi